



प्रेस विज्ञप्ति
30/05/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 27.03.2025 को मेसर्स कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों अर्थात् संतेश और ज्योति गुरेड्डी, भवानी प्रसाद टपल और रेणुका देवी, रवींद्रनाथ और उमा अल्वा के बेंगलुरु में 3 परिसरों और मैंगलोर में एक परिसर में विदेशी अधिकार क्षेत्र में विभिन्न अघोषित लेनदेन के मामले में फेमा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने आयकर विभाग से प्राप्त खुफिया इनपुट के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें प्रथम दृष्टया पता चला था कि मेसर्स श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की निर्यात आय का कुछ हिस्सा उसके खरीदारों द्वारा विदेशी कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था, जिनमें मेसर्स श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शेयरधारक थे।

इसके अलावा, यह भी पता चला है कि शांतेश गुरेड्डी ने लंदन के हेज़ मेवा में नंबर 09 में अचल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका मूल्य 6.4 मिलियन पाउंड था, जो आंशिक रूप से उक्त आय से प्राप्त हुआ था।

तलाशी के दौरान मिले साक्ष्यों और फेमा, 1999 के तहत दर्ज बयानों के आधार पर, यह पता चला है कि मेसर्स श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने मेसर्स श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ की प्राप्ति और इन विदेशी संस्थाओं के माध्यम से निर्यात आय के हिस्से को डायवर्ट करने के लिए विदेशी अधिकार क्षेत्र में कई संस्थाओं को शामिल किया था। यह भी पता चला है कि मेसर्स श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों द्वारा भारत के बाहर धन जमा करने और अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भारत के बाहर संपत्ति खरीदने के लिए विदेशों में मेंटेन किए गए कई बैंक खातों में धन को डायवर्ट करने के लिए विदेश में कई बैंक खाते खोले गए थे।

आगे की जांच जारी है।